रीख अह
म की
री हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं. 27 / 2018

अनवानः–

1 सरस्वती पत्नी शंकर लाल जाति विश्नोई सा. चक 25–26 एसटीजी तह0 पीलीबंगा।
2 सोमा पुत्री शंकर लाल पत्नी देवेन्द्र जाति विश्नोई सा. नजदीक कालूवाला बाईपास श्रीगंगानगर।
3 सुशीला पुत्री शंकर लाल पत्नी रमेश जाति विश्नोई सा. चक 10 एसपीडी त0 पीलीबंगा।
4 एकार्थ अवयस्क पुत्र रमेश एवं द्रोपती बजरियें वादमित्र माता श्रीमती सुशीला पत्नी रमेश अकवाम विश्नोई सा. चक 10 एसपीडी तह0 पीलीबंगा।
5 अनिल पुत्र शंकर लाल जाति विश्नोई सा. चक 25–26 एसटीजी तह0 पीलीबंगा।

अपीलान्ट

बनाम

1 विनोद 2 सुदेश 3 विजय पि. शंकर लाल अकवाम बिश्नोई सा.चक 25–26 एसटीजी तह0 पीलीबंगा।
4 उपतहसीलदार डबलीराठान त0 व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट्

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपील विरुद्ध इन्तकाल सं0 620 चक 16 एसटीजी बअदालत उपतहसीलदार डबलीराठान।

उपस्थितः– 1 श्री अनिल शर्मा अभिभाषक अपीलांटस।
2 श्री नरेश पारीक अभिभाषक रेस्पो0सं0 1 ता 3

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –15.10.2018

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सं. 1 व उसके पति शंकरलाल के वैवाहिक संबंधों से 9 संतान पैदा हुई। शंकर लाल का निधन दिनांक 11.11.2015 को अपने पुत्र रामस्वरूप के साथ निवास करते हुए हो गया। शंकर लाल के नाम चक 16 एस.टी.जी. की 5.440 है0 व 25 एस.टी.जी. की 6.325 है0 भूमि खातेदारी थी। यह सम्पति संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्यगण के संयुक्त परिश्रम व प्रयास से परिवार के ज्येष्ठ सदस्य शंकरलाल के नाम आदर व सम्मान सूचक अर्जित की गयी थी। ऐसी स्थिति में इस समस्त सम्पति के शंकरलाल के परिवार के सभी सदस्यों अर्थात पत्नी, पुत्रों व पुत्रियों का समभाग में स्वामित्व निहित था। उक्त भूमि पर पूर्व में शंकरलाल का कब्जा काश्त था जिनकी मृत्यु के पश्चात् यह समस्त भूमि अपीलार्थीया सं. 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जब चक 16 एस.टी.जी. की 10 बीघा भूमि में गेहूं की पकी फसल को निकलवाने लगी तो अप्रार्थीगण सं.1 ता 3 ने अपीलार्थीया सं.1 को धमकी दी कि वह कणक की फसल को हाथ न लगावें। प्रत्यर्थीगण 1 ता 3 ने यह भी कहा कि यह भूमि उनके नाम हो गयी है। अपीलार्थीया सं0 1, अनलि कुमार व रामस्वरूप ने पटवारी हल्का से राजस्व अभिलेख की पडताल की तो पता चला कि नायब तहसीलदार डबली के आदेश के अनुसरण में शंकर लाल की वसीयत के

सत्य प्रतिलिपि
अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

आधार पर चक 16 एस.टी.जी. की 5.440 है0 भूमि का इन्तकाल सं0 620 उप तहसील डबलीराठान द्वारा स्वीकृत कर प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में .949 है0 प्रत्यर्थी सं. 2 के नाम 3.542 है0 व प्रत्यर्थी सं. 3 के नाम .949 है0 का इन्तकाल दर्ज हुआ। अपीलार्थीगण ने दिनांक 16.4.16 को उक्त इन्तकाल की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त की व उप पंजीयक पीलीबंगा व डबलीराठान में वसीयत संबंधी पडताल की तो पाया कि अपीलार्थीया सं. 1 के पति शंकर लाल की ओर से वसीयत दिनांक 5.12.13 को पंजीकृत हुई है जिसके जरिये चक 25 एस.टी.जी. व 16 एस.टी.जी. की भूमि, चक 25 एस.टी.जी. में अवस्थित भूखण्ड/मकान व ट्रेक्टर संबंधी सम्पतियों को अपीलार्थी सं0 5 व प्रत्यर्थीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में वसीयत होना दर्शाया है। प्रत्यर्थीगण 1 ता 3 ने अपने पक्ष में प्रत्यर्थी सं. 4 से इन्तकाल सं0 620 को स्वीकृत करवाने की जो कार्यवाही की है उससे अपीलार्थीगण के हित विपरीत तौर पर प्रभावित हुए है जिसको निम्न आधारों पर अपीलार्थीगण निरस्त करवाने के अधिकारी हैं:-

क- कि प्रश्नगत इन्तकाल वसीयत के आधार पर स्वीकृत करने के आदेश प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.2.16 के जरिये दिये हैं व स्वयं ही इस इन्तकाल को दर्ज किया है ऐसी कार्यवाही पूर्णतया अधिकारिता रहित होने से प्रभाव शून्य है।

ख- कि शंकर लाल की कथित वसीयत के कथनों से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गयी थी कि वसीयतनामा में वर्णित आराजी पर वे जीवन पर्यन्त मालिक बने रहेंगे व अपना मनचाहा उपयोग व उपभोग कर सकेगा। इसके साथ यह भी इच्छा व्यक्त की है कि उसके व उसकी पत्नी सरस्वती अर्थात अपीलार्थीया सं0 1 की मृत्यु के बाद वसीयतनामा में वर्णित आराजी का इन्तकाल अनिल कुमार आदि के नाम मुताबिक वसीयत दर्ज व तस्दीक होना चाहिए। स्वीकृत तौर पर अपीलार्थीया सं0 1 जीवित है ऐसी स्थिति में इस इच्छापत्र के अनुसरण में उक्त इन्तकाल को स्वीकृत करने की कार्यवाही मूलतः ही अवैध व शून्य है। कथित वसीयत यदि प्रभावी रहती है तब भी यह अपीलार्थीया सं0 1 की मृत्यु के पश्चात् ही प्रभावशील व प्रवर्तनीय होगी।

ग-कि प्रश्नगत इन्तकाल को स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही भू राजस्व नियमों में प्रावधित प्रकिया की पालना किये बिना की गई है। इस संबंध में प्रत्यर्थीगण के मध्य परस्पर सांठ गांठ रही है जिन्होंने इस इन्तकाल को स्वीकृत करने की कार्यवाही को अपीलार्थीगण व स्व0 शंकर लाल के दीगर वारिसान से इस कार्यवाही को छिपाकर किया गया है ताकि अपीलार्थीगण व अन्य वारिसान को इस कार्यवाही का ज्ञान न हो सके । इस सबंध में अपीलार्थीगण व अन्य वारिसान को प्रत्यर्थी सं. 4 के द्वारा कोई लिखित नोटिस अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी नहीं किया व न ही इस संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना ही प्रसारित की गयी। प्रत्यर्थी सं0 4 ने शंकर लाल की कथित वसीयत में दी गयी व्यवस्थाओं के संबंध में गंभीरतापूर्वक अध्ययन न कर बल्कि प्रत्यर्थीगण सं0 1 ता 3 के कहने पर ही यह गलत इन्तकाल स्वीकृत किया है।

घ- कि प्रत्यर्थी सं0 4 को ऐसा इन्तकाल स्वीकृत करने की अधिकारिता ही प्राप्त नहीं थी कथित वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करने की प्रारम्भिक अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत में निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल संबंधी आवेदन के प्रस्तुत होने के 45 दिन के पश्चात् ही ऐसी कोई कार्यवाही न करने की अवस्था में इन्तकाल संबंधी कार्यवाही करने का अधिकार संबंधी तहसीलदार को प्राप्त होता है। हस्तग मामले में इन्तकाल संबंधी कोई आवेदन

सत्य प्रतिलिपि

अति. जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी सं0 4 द्वारा स्वीकृत किया गया इन्तकाल अधिकारिता रहित होने से काबिल निरस्ती है।

ङ– कि इन्तकाल को स्वीकृत करने से पूर्व पटवारी हल्का व गिरदावर के माध्यम से मौका के कब्जा काश्त की रिपोर्ट ली जानी आज्ञापक है। प्रश्नगत भूमि चक 16 एस.टी.जी. पर अपीलार्थीया सं0 1 का कब्जा काश्त है व उसी के द्वारा गेहूं की फसल को बोया गया व काटा गया है। कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ऐसा इन्तकाल को स्वीकृत करने की कार्यवाही मूलतः ही विधि विरूद्ध है। प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थीगण सं0 1 ता 3 का कब्जा काश्त ही नहीं है।

अपील देरी से प्रस्तुत करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से सलंग्न अपील किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। दौराने अपील रेस्पो0 सं0 1 ता 3 द्वारा धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.3.17 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मा0 सिविल न्यायालय में वसीयत को निरस्त व शून्य घोषित करवाने का वाद दायर होने के कारण हस्तगत अपील की कार्यवाही स्थगित की गयी। अपीलांटस द्वारा दिनांक 15.12.17 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मा0 सिविल न्यायालय से वाद सरस्वती देवी आदि (अपीलांटस) द्वारा दिनांक 17.8.17 को वापिस ले लिया है। इसलिए मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेकर आगामी कार्यवाही की जावे। इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर दिनांक 16.7.2018 को पूर्व अपील को पुनः दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए तर्क किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही के संबंध में स्व0 शंकर लाल (वसीयतकर्ता) के समस्त वारिसान को कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही उनकी सुनवाई की गयी । मौका पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट तलब नहीं की गयी। कब्जा अपीलांट सं0 1 के पास है। सिविल वाद इसलिए वापिस लिया गया क्योंकि इन्तकाल के रहते हुए घोषणा नहीं करा सकता। वसीयत शेयर अनुसार नहीं है। बहस में आगे तर्क किया कि अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज करने की अधिकारिता संबंधित ग्राम पंचायत को है न कि तहसीलदार को। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 1 ता 3 द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि अपीलांटस का कथन है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है जबकि स्व0 शंकर लाल द्वारा यह भूमि वर्ष 1959, 62, व 64 में पंजीकृत बैयनामा से खरीद की गयी थी। स्वअर्जित सम्पति की वसीयत करने की अधिकारिता स्व0 शंकर लाल को थी। पंजीकृत वसीयत को मा0 सिविल न्यायालय से शून्य घोषित करवाया जा सकता है। यह न्यायालय वसीयत को निरस्त करने की अधिकारिता नहीं रखते हैं। सुनवाई के बिन्दु पर तर्क किया कि फरवरी 2016 को दैनिक तेज अखबार में आम सूचना प्रकाशित करवाई गयी है। अपीलांटस का यह तर्क मान्य नहीं है कि सूचना प्रकाशित नहीं करवाई गयी है। बहस में आगे तर्क किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि अपीलांट अपने पश्चात्वर्ती सिविल वाद एवं राजस्व वाद में अभिकथित कथनों से विवंधित है जिसके परिपेक्ष्य में साक्ष्य की धारा 115 सुस्पष्ट है। यह भी कथन किया कि जब पक्षकारान के मध्य किसी

सत्य प्रतिलिपि

अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

विषयवस्तु को लेकर वाद विचाराधीन हो तो उनके अधिकारों का निर्णय नियमित वाद में बाद साक्ष्य किया जाना है। अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए विचाराधीन है। पक्षकारान के अधिकार उक्त दावा में तय होने हैं। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 सपठित राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) नामान्तरण की कार्यवाही की प्रकृति– काश्तकार शब्द को उल्लेखित किया गया है कि नामान्तरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल एक जीवित काश्तकार ही भूमिधारी (सरकार) को लगान का भुगतान कर सकता है न कि मृत काश्तकार। हस्तगत अपील में अपीलाट द्वारा इस बिन्दु को मुख्य रूप से उठाया गया है कि चुनौतीधीन इन्तकाल दर्ज करने की अधिकारिता तहसीलदार को न होकर ग्राम पंचायत को है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2005 पेज 97 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क किया ग्राम पंचायत को नामान्तरण की अधिकारिता एक प्रत्यायोजित अधिकारिता मात्र है लेकिन इससे तहसीलदार जिसे धारा 135 भू राजस्व अधिनियम के तहत जो मूल शक्तियां प्राप्त हैं उनसे निरावृत नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(6)1999 पेज 481, आरएलडब्ल्यु 2006(1)(आरजे) पेज 494, आरएलडब्ल्यु 2008(II)(आरजे) पेज 825, आरआरडी 2009 पेज 303, आरएलडब्ल्यु 2006(1)(आरजे) पेज 648,आरआरड 2006 पेज 292 डीएनजे 2018(II)(राज0) 833, आरआरडी 2005 पेज 97 प्रस्तुत किये गये।

अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अभिभाषक रेस्पो0 की बहस का उत्तर देते हुए तर्क किया कि लिखित वसीयत के अनुसार ही नामान्तरण होना चाहिए था जो नहीं किया गया।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील उप तहसीलदार डबलीराठान द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं0 620 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। यह इन्तकाल वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलांटस इस इन्तकाल को इसलिए शून्य मान रहे हैं कि कथित वसीयत में वसीयतकर्ता के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया व न ही कोई आम सूचना प्रकाशित करवाई है। साथ ही अपीलांटस का कथन है कि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। जहां तक पैतृक सम्पति का प्रश्न है इस संबध में अपीलांटस द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड इस अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है। सुनवाई के संबंध में अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दैनिक तेज अखबार दिनांक 7.2.16 के अनुसार आम सूचना प्रकाशित करवाया जाना पाया जाता है। जहां तक उप तहसीलदार द्वारा इन्तकाल दर्ज करने का प्रश्न है कि उसे अधिकारिता नहीं थी इस संबध में अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2005 पेज 97 इस संबंध में पूर्णतया चस्पा होते हैं। स्वअर्जित सम्पति के संबंध में अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बैयनामा फोटो प्रति दिनांक 30.11.59, 17.11.62, 23.1.65 प्रस्तुत की गयी जिनके अनुसार प्रश्नगत भूमि स्व0 शंकर लाल द्वारा खरीद की गयी है। न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ में वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए विचाराधीन है जिसमें रेस्पो0 सं0 1ता 3 द्वारा जबाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जा चुका है। इस वाद में वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 9 (हस्तगत अपील में अपीलांट सं0 1 व रेस्पो0 सं0 1 ता 3) को बहिब के खातेदार घोषित करवाने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार अपीलांटस व रेस्पो0 के मध्य अधिकारों की घोषणा नियमित वाद जो सहायक कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन है उसमें साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित होना है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दर्ज

सत्य प्रतिलिपि

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

इन्तकाल को राजस्व न्यायालय निरस्त करने की अधिकारिता नहीं रखता है । पंजीकृत दस्तावेज अवैध व शून्य है या नहीं इस बिन्दु को मा0 सिविल न्यायालय से ही तय करवाया जा सकता है। नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही (फिस्कल प्रोसीडिंग) की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। प्रश्नगत आराजी के संबंध में वाद बाहुल्यता न बढ़े इसके लिए उभय पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ में विचाराधीन वाद सरस्वती देवी बनाम विनोद आदि के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय की प्रति उप तहसीलदार डबलीराठान को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्य प्रतिलिपि
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official